2017/0051

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61 / 2017 (अपील)

उनवान

ऐजाज अहमद पुत्र इरफान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. निसार अहमद पुत्र अब्दूल हमीद
2. मुमताज बेगम पुत्री अब्दूल हमीद
3. बिन्नो बेगम पत्नी अब्दूल हमीद जाति मुस0 निवासी करबला चोक मस्जिद के पास लाडपुरा कोटा
4. रईस अहमद पुत्र इरफान मोहम्मद
5. शरीफ अहमद पुत्र इरफान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा
6. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री नीरज कुमार मीना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री भारत सिंह (अभिभाषक रेस्पोडेण्टस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के
नामान्तकरण संख्या 1641 दिनांक 13.07.17

निर्णय दिनांक : 25.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 13.07.1977 बावत नामान्तरकरण सं0 1641 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस की तलबी की गई। रेस्पोडेण्टस की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा में पुराना खसरा नं0 660 रकबा 8 बीधा 9 बिस्वा, हाल खसरा नं0 831 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के नाम खाते में नामान्तरकरण सं0 1641 दिनांक 13.07.2017 से दर्ज रिकार्ड किया गया है । उक्त आराजियात सम्वत् 2009–2012 मे अपीलांट व रेस्पो0 नं0 4,5 के दादा सिकन्दर की शिकमी काश्त मे दर्ज है और तभी से उक्त भूमि पर सिकन्दर खां के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 नं0 4, 5 बराबर बराबर हिस्से पर काबिज काश्त आज दिन तक बदस्तूर चले आ रहे है । उक्त

आराजियात पर कभी भी रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के दादा छीतर खां तथा परदादा नाथ्या द्वारा काश्त नही की गई, बल्कि उनके द्वारा उक्त भूमि को अपीलांट के दादा सिकन्दर खां को पांती काश्त पर सम्वत् 2009 मे ही दे दी गई थी, तब से आज दिन तक उक्त आराजी पर सिकन्दर खां के वारिसान काबिज काश्त है ।। इस प्रकार से उक्त भूमि पर अपीलांट अनुमति पजेशन के आधार पर काबिज काश्त है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भू राजस्व अधिनियम लागू होने से पूर्व सन् 1952 यानि सम्वत् 2009 से उक्त आराजी पर सिकन्दर के वारिसान काबिज होने की स्थिति मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण सं0 1641 को तस्दीक करते समय बिना कब्जे की जांच किये तथा अपीलांट व रेस्पो0 नं0 4 व 5 को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया है व कानूनन खारिज होने योग्य है । विवादित नामान्तरकरण के कॉलम संख्या–14 मे 6.7.1977 को अल्लानूर का फोत होना तथा मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.14 को नगर निगम कोटा द्वारा जारी करना अंकित किया है तो फिर 17.7.14 से लेकर आज दिन तक रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 द्वारा फोती इंतकाल बाबत कोई कार्यवाही किस कारण से नही की गई या फिर 1977 से लेकर आज दिन तक मृत्यु प्रमाण पत्र किस कारण से जारी नही करवाया गया, इस बाबत किसी भी प्रकार का अंकन नामान्तरकरण मे नही किया गया है, जबकि उक्त नामान्तरकरा फोती नामान्तरकरण है और फोती नामान्तरकरण को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दिया गया है और इस प्रक्रिया के लिए दिनांक 20.01.16 को ग्राम पंचायत करवाड द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय को एक आवेदन भी प्रेषित किया हुआ है, लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन का निस्तारण किये बिना ही जैर अपील नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय व सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उक्त आराजियात बाबत ए.सी.एम. इटावा मे खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अपीलांट द्वारा दिनांक 2.1.17 को पेश किया हुआ है । उक्त वाद की जानकारी रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है । जो कि लीज पेण्डेन्सी के सिद्वांत के आधार पर भी कानूनन खारिज होने योग्य है । उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है । अतः नामान्तरकरण सं0 1641 दि0 13.07.17 ग्राम करवाड निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी अब्दूल हमीद, अल्लानूर पि0 छीतर खां के खाते की भूमि थी । अब्दूल हमीद की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी अब्दूल हमीद के वारिसान के नाम दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण सं0 1641 दिनांक 13.7.17 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है जो नियमानुसार किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय ए.सी.एम. इटावा मे पेण्डिग होना बताया है । उक्त वाद में वादग्रस्त आराजी के अधिकार तय होगे तभी अपीलान्ट का नाम दर्ज हो सकता है । अतः अपील अपीलांट निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा अपील मे विवादित आराजी पर सिकन्दर खां का शिकमी काश्त दर्ज होना व उस पर सिकंदर खां के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 नं0 4, 5 का बराबर हिस्से पर काबिज काश्त होना अंकित किया है । उनके द्वारा नामान्तरकरण बिना कब्जे की जांच किए व बिना अपीलांट व रेस्पो0 नं0 4 , 5 की सुनवाई किए तस्दीक करना बताया है तथा पक्षकारान के मध्य न्यायालय ए.सी.एम. इटावा मे खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन होना बताया है । चूंकि पक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद न्यायालय ए.सी.एम. इटावा मे विचाराधीन है । अतः उसमें ही अपीलांट के अधिकार तय होगे । प्रश्नगत नामान्तरकरण अब्दुल हमीद के फोत होने व अल्लानूर के लाऔलाद फोत होने पर उसके वारिसान के हक मे खोला गया है । नामान्तरकरण Fiscal proceeding है । जिसमें कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है । न्यायालय ए.सी.एम. इटावा मे विचाराधीन वाद मे ही अपीलांट के अधिकार तय हो सकते है । अत : अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं0 1641 दिनांक 13.07.17 यथावत रखा जाता है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा